



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 308 राँची, बुधवार,

9 जुलाई, 2025 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

संकल्प

05 जुलाई, 2025

संख्या - 01/नीति-05-03/2025-1138--

विषय :- “झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022” के तहत राजस्वहित में अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारम्भ होने तक दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के संबंध में।

झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बन्दोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 को प्रवृत्त करने में 1.5 से 2 माह का समय लगना संभावित है तथा प्रतिवेदित अनियमितताओं को देखते हुए प्लेसमेंट एजेन्सियों की कार्यावधि को विस्तारित कर उनके माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन श्रेयष्कर प्रतीत नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में झारखण्ड राज्य बिबरेजेज

कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दर के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किया जाय; क्योंकि इसके अतिरिक्त खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन का कोई अन्य विकल्प नहीं है तथा खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन राजस्वहित में, अवैध मदिरा की बिक्री रोकने तथा अवैध मदिरा के सेवन से किसी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक है।

2. अतएव, उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था (Stop Gap Arrangement) के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ खुदरा उत्पाद दुकानों को संचालित करने का निर्णय लिया जाता है -

- i. खुदरा उत्पाद दुकानवार Hand/Takeover तथा Reconciliation की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दर के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों से मदिरा की बिक्री प्रारम्भ की जायेगी।
- ii. खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्रति दुकान एक दुकान प्रभारी तथा एक दुकान सहायक का चयन श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दर के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक के भुगतान के आधार पर झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगी।
- iii. उपरोक्त कर्मियों के चयन के क्रम में खुदरा उत्पाद दुकान में कार्य अनुभव रखने वाले कर्मियों की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का Sale Vs. Deposit का लंबित सामंजन, Over Pricing, पेनाल्टी, अनियमितता इत्यादि की शिकायत लंबित न हो।
- iv. उपरोक्त कर्मियों का चयन पूर्णतः अस्थायी होगा तथा उनका कार्य संतोशप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- v. उपरोक्त कंडिका-iii के संबंध में सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद-सह-जिला प्रबंधक द्वारा प्रमाण उपलब्ध कराया जायेगा।
- vi. उपरोक्त समिति द्वारा आवश्यकतानुसार प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकान में ग्राहकों की संख्या के आधार पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधक विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक से तीन सक्षम होमगार्ड का चयन की जायेगी।
- vii. सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद-सह-जिला प्रबंधक द्वारा प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकानों के पर्यवेक्षण के लिए उत्पाद विभाग/झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के योग्य पदाधिकारी/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
- viii. संबंधित जिलों के अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक अल्पकालीन व्यवस्था के अंतर्गत खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन का जिला स्तर पर अनुवीक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य किया जायेगा।

- ix. आवश्यकतानुसार संबंधित जिलों के उपायुक्त द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु अतिरिक्त कर्मी/पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
- x. अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संचालित खुदरा उत्पाद दुकानें, झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बन्दोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के तहत संचालित खुदरा उत्पाद दुकानों से मदिरा की बिक्री प्रारम्भ होने के पश्चात जिला उपायुक्त के अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्ति के आधार पर आयुक्त उत्पाद द्वारा बंद की जायेगी।
- 3) दिनांक 01.06.2025 से पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला में खुदरा उत्पाद दुकानों का झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दर के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर संचालन की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाए।
- 4) वित्तीय वर्ष 2025-26 के माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2025 का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व क्रमशः ₹0 2218565597/-, ₹0 1922756851/- एवं ₹0 2070661224/- निर्धारित है। झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दर के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के क्रम में एक व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था में Transition के फलस्वरूप उत्पाद राजस्व में कमी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, परंतु वर्तमान परिस्थिति में राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से यही विकल्प उचित प्रतीत होता है। वर्णित परिस्थितियों में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तथा झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा Minimum Guaranteed Revenue प्राप्त करने का यथोचित प्रयास किया जायेगा। उक्त परिस्थिति से सृजित राजस्व क्षति की पूर्ति झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के लाभांश से की जायेगी।
- 5) मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड की स्वीकृति प्राप्त है।
- 6) उक्त संकल्प आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव ।
